BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 01 अक्टूबर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त मनवीर सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर जाट थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में वादी की पुत्री की गला रेतकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 06.04.2015 को थाना ककोड़ पर मुअसं– 70/2015 धारा 302 भादवि पजीकृत किया गया जिसमे दिनांक 01.05.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 01.10.2024 को न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार शर्मा (मा0 न्यायालय एडीजे–02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनवीर सिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री देवेन्द्र सिंह माहुर व श्री प्रवीन राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर